न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

वाद सं0 —20/2021(2021/00020)

दावान : —

सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति छिम्पा निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
3. ओ0बी0सी0 शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेश बैनीवाल **वादी**
श्री विजेन्द्र बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक: 23/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 35/43 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 8, 11 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 28 के किला न0 4, 5, मु0 न0 29 के किला न0 1, 2 कुल किता 32 की कुल 8.0960 हैक्टेयर नहरी 7.9040 है0 रास्ता 0.1170 है0 खाला 0.0750 है0, इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता संख्या 22/23 के मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी 1.998 है0 रास्ता 0.026 है0 प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि [illegible] के दादा लालचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। लालचन्द [illegible] प्रतिवादी ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तहत प्रतिवादी ओमप्रकाश [illegible]ने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तथा प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को वादी के दादा लालचन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी चक 4 एसडीआर सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 90/78 एवं चालू जमाबन्दी चक 1 एसडीआर सम्वत 2066–69 खाता संख्या 91/79 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 4 एसडीआर सम्वत 2075–78 खाता संख्या 22/23 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 4 एसडीआर सम्वत 2067–70 खाता संख्या 90/78 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 1 एसडीआर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 35/43 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 1 एसडीआर सम्वत 2066–69 खाता संख्या 91/79 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबड़ी द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 1 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 35/43 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 8, 11 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 28 के किला न0 4, 5, मु0 न0 29 के किला न0 1, 2 कुल किता 32 की कुल 8.0960 हैक्टेयर नहरी 7.9040 है0 रास्ता 0.1170 है0 खाला 0.0750 है0, इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता संख्या 22/23 के मु0 न0 34 के किला [illegible] 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 2.024 हैक्टेयर [illegible] 0.026 है0 राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/1 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 20/21 अनुवान सुरेश कुमार बनाम ओमप्रकाश आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 35/43 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 8, 11 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 28 के किला न0 4, 5, मु0 न0 29 के किला न0 1, 2 कुल किता 32 की कुल 8.0960 हैक्टेयर नहरी 7.9040 है0 रास्ता 0.1170 है0 खाला 0.0750 है0, इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता संख्या 22/23 के मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी 1.998 है0 रास्ता 0.026 है0 राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested